न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 210/2012

सायलानः- बनाम गैरसायलान :-

1. सीतादेवी पुत्री हरदेव
2. सुखीदेवी पुत्र हरदेव

जाति-मेघवाल,निवासीगण-बलाडा
तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज)

1. ओमप्रकाश पुत्र हरदेव
2. मिरकी बेवा मदन
3. रमेश पुत्र मदन
4. संतोष पुत्री मदन
5. नर्बदादेवी पत्नि सुगनाराम
   जाति-बावरी, निवासीगण-बलाडा
   तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज)
6. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
7. तहसीलदार जैतारण
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद घोषणा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 26/10/2012

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, सायलान।
2. श्री देवेन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः 24/06/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-बलाडा, पटवार हल्का-बलाडा, तहसील- जैतारण में सायलान् एवं गैर सायलान सं.1 के पिता एवं गैर सायलान संख्या दो से चार के ससूर व दादा के नाम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की खसरा नम्बर 361/2 रकबा-16-04 बीघा, खसरा नम्बर 361/1 रकबा 16-04 बीघा, खसरा नम्बर 362 रकबा 14-12 बीघा, खसरा नम्बर 362/1 रकबा 14-13 बीघा खसरा नम्बर 411 रकबा 7-02 बीघा खसरा नम्बर 411/1 रकबा 7-02 बीघा आयी हुई है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उक्त वर्णित आराजी वादीगण / सायलान् एवं गैर सायलान् संख्या एक से चार की पैतृक व पुश्तैनी हैं, जो वक्त सैटलमेन्ट हरदेव पुत्र लाबु के नाम दर्ज थी तथा उनकी मृत्यु होने के पश्चात गैरसायल संख्या एक से चार के नाम दर्ज हुई। सायलान् एवं गैरसायल संख्या एक से चार हरदेव पुत्र लाबु के वारिसान हैं। वंश वृक्षावली अनुसार मूल पुरूष हरदेव पुत्र लाबु (फौत) के पुत्रगण ओमप्रकाश, मदन(फौत) एवं पुत्रियाँ सीतादेवी, सुखीदेवी हैं तथा मदन (फौत) की पत्नि मीरा, पुत्र रमेश एवं पुत्री संतोष हुई। उक्त वर्णित वंशावली से स्पष्ट है कि हरदेव के चार संताने थी, जिसमें हरदेव की मृत्यु होने पर जो फौतेदगी म्यूटेशन पारित किया गया। उसमें तत्कालीन पटवारी व आर0आई0 ने हरदेव के वारिसान की जांच किये बिना ही ओमप्रकाश व मदन के नाम म्यूटेशन दर्ज कर दिया तथा सायलान् का नाम म्यूटेशन में दर्ज नहीं किया। जबकि उक्त पैतृक आराजी है तथा संवत 2022 से 2025 की जमाबन्दी में हरदेव का नाम दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। उक्त वर्णित आराजी में मदन की मृत्यु होने के पश्चात् उनके वारिसान् गैरसायल संख्या 2 से 4 के नाम 1/2 हिस्से के रूप में दर्ज हो गयी। तब गैरसायल संख्या एक से चार ने मिलकर इन मूल खसरा नम्बर-36/1 रकबा 32-08 बीघा खसरा नम्बर 362 बीघा खसरा नम्बर 362 रकबा 29-05 बीघा खसरा नम्बर 411 रकबा 14-04 बीघा का दिनांक 27/11/2008 को आपसी सहमति से बंटवाडा कर लिया तथा आपसी सहमति से बंटवाडा कर लिया तथा आपसी सहमति से बंटवाडा कर उक्त वर्णित आराजी के अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो गया। तत्पश्चात गैरसायल संख्या दो

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

से चार ने मिलकर खसरा नम्बर 361/2 रकबा 16-04 बीघा का राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज होने के आधार पर गैरसायल संख्या 5 को बेचान कर दिया। उक्त बेचान गलत व गैरकानूनी व विधि विरूद्ध हैं। क्योंकि गैरसायल संख्या दो से चार का उक्त आराजी में अकेले का सम्पूर्ण हिस्सा नहीं हैं। जबकि उक्त आराजी में सायलान् का भी हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित आराजी में हरदेव की मृत्यु होने के बाद जो म्यूटेशन दिनांक 02/05/1985 को भरा गया था, जो विधि विरूद्ध तथा सायलान् के हितों के विरूद्ध व बेअसर हैं। क्योंकि उक्त आराजी पैतृक सम्पति है। जिसमें सायलान् का हित निहित है। परन्तु तत्कालीन पटवारी व आर.आई. ने मिलीभगत कर उक्त म्यूटेशन गैरसायल संख्या एक से चार नाम के पारित किया जो काबिल खारिज है एवं कानूनन नल एण्ड वाइड है तथा उक्त गलत आधारों पर भरें गये म्युटेशन के आधारों पर गैरसायलान् जो कि पहले ही उक्त आराजी में सें कुछ हिस्सा बैचान कर चुके हैं। अब शेष बची आराजी को भी बेचान कर देते हैं, तो सायलान् अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगी एवं अपने साम्पैतिक अधिकारों से महरूम होना पडेगा। इसलिए यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैर सायलान् के पेश किया है। उक्त वर्णित आराजी में सायलान् का कानूनन हक व अधिकार है तथा पैतृक सम्पति होने के आधार पर सायलान् का उक्त आराजी में हिस्सा बनता हैं। परन्तु वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण/सायलान् का नाम दर्ज नहीं हैं। इसलिए गैरसायलान् राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर उक्त आराजी को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण व खुर्द बुर्द कर देते है, तो सायलान् अपने जायज हक व अधिकारों से हमेंशा के लिये वंचित हो जायेंगें तथा सायलान् को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी इसलिए सायलान् का यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान् के पेश किया है। उक्त वर्णित आराजी के सायलान् द्वारा दिनांक 25/09/2012 को राजस्व रेकर्ड में देखने एवं उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि देखने पर ज्ञात हुआ कि उक्त वर्णित आराजी में अकेले गैरसायल का नाम दर्ज हैं। तब सायलान् ने गैरसायलान् को उनका भी नाम दर्ज करवाने को कहा तो गैरसायलान् इन्कार हो गये तथा सायलान् को यह ऐलानिया धमकी दी कि उनका इस सम्पति में कोई हक व अधिकार नहीं है तथा शेष बची आराजी को भी किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण कर देते हैं। यदि गैरसायलान् अपने नापाक इरादों में सफल हो जाते है, तो सायलान् को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी व अपनी पैतृक सम्पति से हमेशा के लिये वंचित रहना पडेगा एवं गैरसायलान् उक्त गैरसायलान् उक्त आराजी का बैचान किसी अन्य को कर देते है, तो अजनबी क्रेता सायलान् को उनके कब्जे से बेदखल कर देंगे, तो मौके पर लडाई झगडा होगा मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढेगी। इसलिए सायलान् के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से सायलान् द्वारा यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान् पेश किया हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को तलब किया गया। गै0सा0 संख्या 5 की तलबी राजस्व अभियान के दौरान हुई, जिसका सम्मन ओमप्रकाश ने प्राप्त किया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बलाड़ा में पेश हुई। गै0सा0 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। वकील गै0सा0 को जबाब प्रार्थना पत्र पेश करने का समय दिया गया। बावजूद भी जबाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वस्तुतः उक्त विवादित आराजी की भूमि प्रथम दृष्टिया पैतृक व पुश्तैनी होने से सायलान के पक्ष में दिनांक 26/10/12 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै0सा0 को पाबन्द किया हैं, जिसे वाद निर्णय तक पुख्ता किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–बलाडा, पटवार हल्का–बलाडा, तहसील– जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 361/2 रकबा–16–04 बीघा, खसरा नम्बर 361/1 रकबा 16–04 बीघा, खसरा नम्बर 362 रकबा 14–12 बीघा, खसरा नम्बर 362/1 रकबा 14–13 बीघा खसरा नम्बर 411 रकबा 7–02 बीघा खसरा नम्बर 411/1 रकबा 7–02 बीघा आराजी की भूमि प्रथम दृष्टिया पैतृक व पुश्तैनी होने से अपने हिस्से में काश्त करते हैं। अतः न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 26/10/12 को पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 24/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–बलाड़ा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner